त्योहारी सीजन में बिना अनुमति पंडाल लगाने पर हाई कोर्ट सख्त

फिलहाल पुरानी गाइडलाइन ही लागू रहेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : त्योहारी सीजन में सार्वजनिक सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल, स्वागत द्वार, जुलूस आदि लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि नई गाइडलाइन आने तक वर्तमान नियम ही लागू रहेंगे। राज्य शासन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि नई गाइडलाइन कई विभागों के समन्वय से तैयार की जा रही हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए 22 अप्रैल 2022 को गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावशील बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

वर्तमान में यह है नियम : 2022 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आयोजन स्थल पर भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा को लेकर स्पष्ट योजना मांगी जाती है। अनुमति आवेदन के साथ एक घोषणा-पत्र देना होता है।

याचिकाकर्ता ने ये कहा : रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में रायपुर में गणेश उत्सव व दुर्गा पूजा के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के बड़े पैमाने पर पंडाल लगाए गए। कलेक्टर कार्यालय व नगर निगम ने लिखित में स्पष्ट किया कि इन आयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि रायपुर की सकरी सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार लगाए जाने से यातायात ठप हो जाता है और आमजन को खासी परेशानी उठानी पड़ती है।

- सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य

बिलासपुर हाई कोर्ट।